

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा , राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:-0141-2740837 ,फैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई) जे-185 / 1983 / अलेसे-III / 10076

दिनांक:- 02.12.2025

कार्यालय आदेश

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार को जिला परिवहन अधिकारी, करौली में पदस्थापन के समय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अंतर्गत धारा 13(1)(सी)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 467, 468, 471, 477ए, 420, 120बी भा.द.स. में अपराध संख्या 373/2002 दर्ज किया गया था, जिसके क्रम में निदेशालय के पत्रांक 46-47 दिनांक 03.04.2008 द्वारा अभियोजन स्वीकृति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को प्रेषित करते हुए श्री गुप्ता को निदेशालय के आदेश क्रमांक 48-57 दिनांक 03.04.2008 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

प्रकरण में श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध राज. सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 12.01.2009 को ज्ञापन जारी किया गया। जिसका निस्तारण विभागीय आदेश क्रमांक 890-95 दिनांक 10.12.2009 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित करते हुए किया जा चुका है।

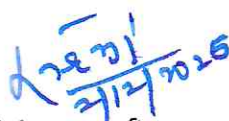
श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार के द्वारा उनके निलम्बन के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सि.रिट पिटीशन नं. 3649/2010 में प्रदत्त आदेश दिनांक 20.08.2010 की पालना में विभागीय आदेश संख्या 309/2010-11 दिनांक 01.10.2010 के द्वारा बहाल करते हुए निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन रखा गया।

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.08.2017 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त करते हुए इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने के कारण प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की गई।

माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर ने फौजदारी प्रकरण संख्या 263/2014 (44/08) (एफ.आई.आर. नं. 373/2002) में निर्णय दिनांक 29.03.2025 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, करौली को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्रांक 2905-08 दिनांक 27.11.2025 के द्वारा माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर के निर्णय दिनांक 29.03.2025 के विरुद्ध नो-अपील का निर्णय लिया जाना अवगत करवाया गया है।

अतः राजस्थान सेवा नियम 1951 के खण्ड-1 के नियम 54 के अंतर्गत श्री गुप्ता की निलम्बन अवधि (दिनांक 03.04.2008 से 30.09.2010 तक) के भुगतान किये गए निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन, भत्ते एवं परिलाभ देय होंगे तथा निलम्बन अवधि को देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना योग्य माना जावेगा।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध आज तक राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 एवं 19 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच, विशेष प्रक्रिया एवं न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/ लंबित नहीं है।

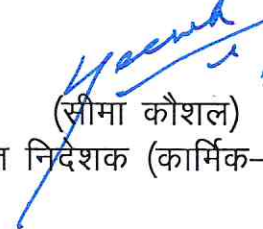

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई) जे-185/1983/अलेसे-III/10076

दिनांक:- 02.12.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप कोषाधिकारी, गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर) को निर्देशित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता के निलम्बन अवधि के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही कर निदेशालय को अवगत करावें।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार, वैद्य कॉलोनी, रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे, गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर)-322201
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), कार्यालय हाजा।
5. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)